न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः–215/16

1. श्रीमती लखनदेई पत्नी स्व. परमाली जाति गुर्जर निवासी–ध्वजा मौरौली तहसील बयाना
2. वीरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री परमाली
3. निरंजन पुत्र स्व. परमाली– मृतक

3/1. रामनिरी पत्नी निरंजन

3/2. नितिन पुत्र निरंजन

3/3. कुनाल पुत्र निरंजन

सभी जाति गुर्जर निवासी ध्वजा मौरोली तहसील बयाना, जिला भरतपुर राज0

4. भागसिंह पुत्र स्व. श्री परमाली जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ध्वजा मौरोली, तहसील बयाना
5. रामकेश पुत्र स्व. श्री परमाली जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ध्वजा मौरोली, तहसील बयाना
6. ममता पुत्री स्व. श्री परमाली, पत्नी योगेन्द्र, जाति गूजर निवासी ग्राम कटारा तहसील हिन्डौनसिटी
7. सुनीता पुत्री स्व. श्री परमाली पत्नी महेन्द्र , जाति गूजर निवासी ग्राम कटारा तहसील हिन्डौनसिटी
8. नीरज पुत्री स्व. श्री परमाली पत्नी कल्लू , जाति गूजर निवासी ग्राम कटारा तहसील हिन्डौनसिटी
9. बत्तन पुत्री श्रीमती चम्पा नमांसी जयसिंह पत्नी घीस्या जाति गूजर निवासी इटामड़ा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
10. श्रीमती हरभेजी पुत्री कल्ली पौती मेंढू पत्नी राजूलाल जाति गूजर निवासी नाहेड़ा तहसील महुआ जिला– दौसा (मृतक)

10/1. दलेल पुत्र हरभेजी जाति गूजर निवासी नाहेड़ा तहसील– महुआ जिला–दौसा

10/2. पतादेवी पुत्री हरभेजी जाति गूजर निवासी नाहेड़ा तहसील– महुआ जिला–दौसा

10/3. फूलवती पुत्री हरभेजी जाति गूजर निवासी नाहेड़ा तहसील– महुआ जिला–दौसा

10/4. महेन्द्र पुत्र हरभेजी जाति गूजर निवासी नाहेड़ा तहसील– महुआ जिला–दौसा

.....वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

1. हरखासोआम
2. तहसीलदार , तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टीनैन्सी एक्ट

निर्णय दिनांकः– 10/12/25

उपस्थितिः–श्री मन्दकिशोर शर्मा एड0 वादीगण

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टीनैन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादपत्र वादी की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

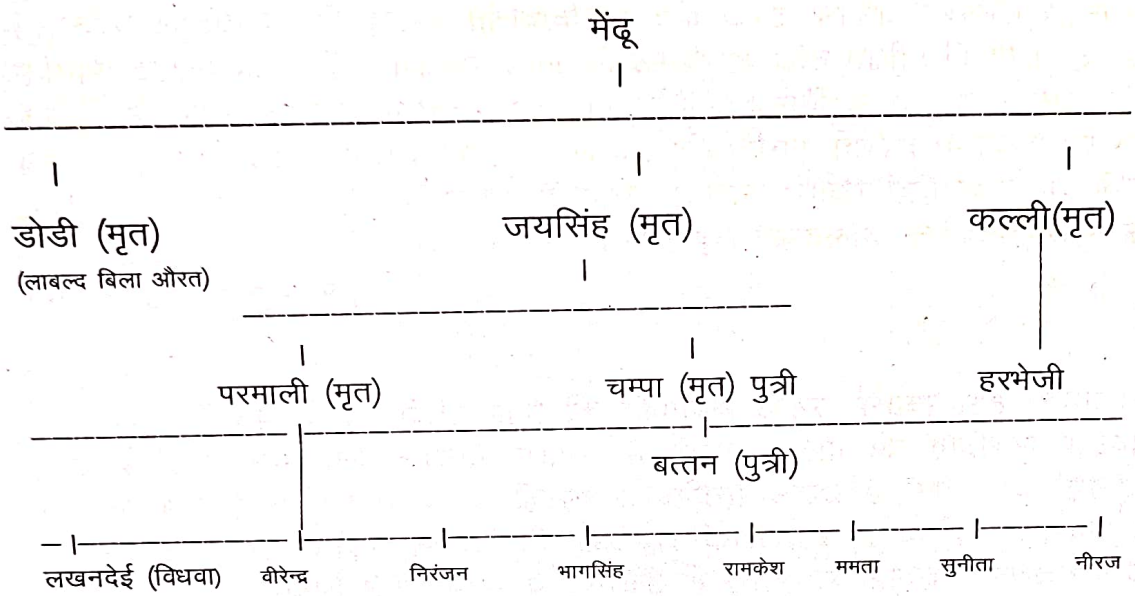

पुराना आराजी खसरा नम्बर 340 रकवा 5 वीघा 19 विस्वा से निस्फ हिस्सा ग्राम कैर तहसील बयाना में स्थित है जिसे हाल के बन्दोबस्त के बाद नवीन खसरा नम्बर 766 रकवा 0.96 हैक्टेयर रैवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया गया है।_वादीगण के पूर्वज श्री डोडी पुत्र मेंढू का स्वर्गवास अर्सा लगभग 42 साल पूर्व हो चुका है जो लाबल्द बिला औरत फौत हुआ है। मृतक डोडी पुत्र मेंढू वादिनी संख्या 1 के ससुर जयसिंह का बड़ा भाई एवं वादिनी संख्या 10 के पिता स्व. कल्ली का बड़ा भाई था। स्व. डोडी, जयसिंह एवं कल्ली तीनों भाइयों का संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार रहा है जिसका मुखिया स्व. डोडी ही रहा तथा राजकाज के सारे कार्य स्व. डोडी ही अपने जीवनकाल में करता रहा। वादीगण के पूर्वज डोडी,जयसिंह,कल्ली तीनों भाइयों की मृत्यु एक–डेढ़ साल के अन्दर हो गई।_डोडी, जयसिंह व कल्ली की मृत्यु के समय परिवार में पुरूष सदस्य के रूप में वादीगण का पूर्वज परमाली ही जीवित था जो उस समय नाबालिग था इसे विवादित भूमि के राजस्व इन्द्राज अथवा नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही है।_वादीगण विवादित भूमि को शुरू से ही वइमदाद वादिनी संख्या 1 वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज तक भी वादीगण विवादित भूमि पर वहैसियत खातेदार बिना रोकटोक व हस्तक्षेप न्यारान्यूर तौर पर वहैसियत खातेदार काबिज व काश्तकार है।_स्व. डोडी की उसके जीवनकाल में शादी नहीं हुई

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

अतः उसके कोई सन्तान उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं रहा और ना ही हमारे गांव ध्वजा मौरोली अथवा इस पटवार क्षेत्र में किशोरी पुत्र डोडी जाति गूजर नामक कोई व्यक्ति रहा है और न ही अब है।_वादिनीगण संख्या 1 व 10 की नाबालिगी के दौरान राजस्व कर्मियों/अधिकारियों की गलती, घोर लापरवाही के चलते तत्कालीन ग्राम पंचायत कैर के सरपंच की मिलीभगत से वादीगण को जानबूझकर हानि पहुंचाने व वादीगण के हकूकों पर कुठाराघात करते हुये विवादित भूमि काा इन्द्राज एक किशोरी के हक में, राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था एवं स्वं. डोडी का वारिस होने का तो प्रश्न ही नहीं है।_वादीगण को उक्त गलत इन्द्राजों की जानकारी होते हैं उन्हौने पटवारी हल्का व तहसीलदार जी बयाना से दिनांक 07.11.2016 को निवेदन किया तो उन्हौने वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर वे स्वयं कब्जेराज में ले लेगें तथा वादीगण के हक में इन्द्राज खातेदारी नहीं करेंगे।_प्रतिवादीगण यदि उक्त धमकी में सफल हो गये तो वादीगण बरबाद हो जावेंगे तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।_किशोरी पुत्र डोडी जाति गूजर नाम का कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र में मौजूद नहीं है अतः हरखासोआम को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।वाद कारण वाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण गलत इन्द्राजी की जानकारी होने व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धमकी दिये जाने पर दिनांक 07.11.2016 को वमुकाम बयाना तहसील बयाना इस न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ है।

अन्त में_यह घोषित किया जावे कि विवादित खसरा संख्या 766 रकवा 0.96 हैक्टेयर स्थित ग्राम कैर तहसील बयाना से निस्फ हिस्सा का वादीगण संख्या 1 लगायत 8 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा व वादिनी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा व वादिनी संख्या 10 निस्फ हिस्सा की खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। तदनुसार रैवन्यू रिकार्ड में वादीगण को किशोरी के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण हरखासोआम को जरिये समाचार पत्र दैनिक नवज्योति संस्करण दिनांक 18.03.2017 से तकमी सूचना जारी की गई दिनांक 31.07.2017 तक उक्त समाचार पत्र से प्रकरण में किसी व्यक्ति द्वारा इज़रदार नहीं होने पर प्रतिवादीगण हरखासोआम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वीरेन्द्र व पीडब्ल्यू–2 लटूर सिंह के शपथ पत्र पेश हुये। दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये।_वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श– 1 जमा0 1865, प्रदर्श–2 जमा0 2029, प्रदर्श–3 जमा0. 2013, प्रदर्श–4 जमा0 2024, प्रदर्श–5 जमा0 2028–35, प्रदर्श–6 जमा0 2035–39, प्रदर्श–7 नामान्तकरण 383, प्रदर्श–8 जमा0 2069–72, प्रदर्श–9 नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग का पेश किया।_हमने विद्वान अभिभाषक एड0 वादी को सुना एडवोकेट वादी का कथन है कि पुराने ख0नं0 340 रकवा 5 वीघा 19 विस्बा के नवीन ख0नं0 766 रकवा 5 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम कैर तहसील बयाना दौराने सैटलमेंट बनाये गये। वादीगण के पूर्वज डोडी पुत्र मेंढू का स्वर्गवास 42 वर्ष पूर्व हो चुका है। मेंढू के 3 पुत्र के डोडी विजय ओमी फोत हुआ। जयसिंह के दो सन्तानें पुत्र परमाली एवं एक पुत्री चम्पा पैदा

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

हुये। इसी कम में मेंढू की पुत्री हरभेजी पैदा हुये। परमाली के कायम मुकायान एवं चम्पा की पुत्री एवं हरभेजी वादीगण है। आ0ख0नं0 340 पुराना जमा0 संवत 2028 से 2041 तक डोली वल्द मेंढू कौम गूजर हिस्सा दर्ज होता चला आ रहा है। जमा0 संवत् 2028-31 में डोडी की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण किशोरी पुत्र डोडी गूजर नि0 दर्ज कर जो सरासर गलत है। डोडी लाबल्द बिला औरत फौत हुआ। उक्त किशोरी बल्द डोडी का अंकन कलमजन कर वादीगण के नाम उनके हिस्सा अनुसार किये जाने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक एड0 वादीगण को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 4 में पुराना खसरा नम्बर 340 डोडी बल्द मेंढू कौम गूजर निस्फ दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 7 नामान्तकरण संख्या 383 कॉलम संख्या 11 में किशोरी पुत्र डोडी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत 2028–31 में खसरा नम्बर 340 किशोरी पुत्र डोडी गूजर निस्फ, प्रदर्श 06 (जमाबन्दी सम्वत 2035–39) में किशोरी पुत्र डोडी गूजर निस्फ इसी प्रकार प्रदर्श 8 जमाबन्दी 2069–72 में भी नवीन खसरा नम्बर 766 रकवा 0.96 में किशोरी बल्द डोडी हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड हुआ है। प्रदर्श 9 मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा नम्बर 344 का नवीन खसरा नम्बर 766 रकवा 0.96 हैक्ट. बनाया गया है। मौखिक साक्ष्य PW 1 में वीरेन्द्र पुत्र स्व0 परमाली ने अंकित किया है कि वादीगण के पूर्वज मेंढू थे जिनके तीन पुत्र डोडी, जयसिंह, कल्ली थे जिनमें सबसे बडा डोडी था। डोडी लाबल्द बिला औरत फौत हुआ । स्व0 डोडी पुत्र मेंढू ने पुराना आराजी खसरा नम्बर 340 रकवा 5 बीघा 19 विस्वा से निस्फ हिस्सा ग्राम कैर तहसील बयाना में छोडा जिसका हाल के बन्दोवस्त के बाद नवीन खसरा संख्या 766 रकवा 0.96 हैक्ट रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया गया है। हम वादीगण संख्या 01 लगायत 9 जयसिंह के वारिस है। मृतक डोडी पुत्र मेंढू के हम वादीगण ही विधिक वारिसान है। स्व0 डोडी, जयसिंह एवं कल्ली तीनों भाईयों का संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार रहा है। हमारे पूर्वज डोडी, जयसिंह, कल्ली तीनों भाईयों की मृत्यु एक–डेढ वर्ष के अन्दर ही हो गई। इनकी मृत्यु हम वादीगण का पूर्वज परमाली ही जीवित था। जो उस समय नाबालिग था। इसी प्रकार मौखिक साक्ष्य PW 2 में लटूरसिंह ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि वादीगण के पूर्वज मेंढू थे। मेंढू के तीन पुत्र डोडी, जयसिंह, कल्ली थे जिनमें डोडी सबसे बडा था। जो लाबल्द बिला औरत आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व मर चुका है। डोडी की शादी ही नहीं हुई तो उसके पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं है। डोडी पुत्र मेंढू के वादीगण ही विधिक वारिस है। स्व0 डोडी, जयसिंह, कल्ली तीनों भाईयों का संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार रहा है। जिसका मुखिया स्व डोडी ही रहा। डोडी की मृत्यु के समय वादिनी संख्या 1 लखनदेई का पति व वादीगण का पिता परमाली आज से लगभग 40–42 वर्ष पूर्व नाबालिग था। वादीगण ही इनकी छोडी समस्त आराजी पर आज तक बदस्तूर बिना रोक–टोक न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। गॉव ध्वजा मौरोली अथा इस पटवार क्षेत्र में किशोरी बल्द डोडी जाति गूजर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

बहस विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद–वादीगण डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 766 रकवा 0.96 हैक्ट. वाके ग्राम कैर तहसील बयाना के निस्फ हिस्सा का किशोरी के स्थान पर वादीगण संख्या 01 लगायत 8 वहिस्सा बराबर, 1/4, वादिनी संख्या 09 को 1/4 भाग एवं वादिनी संख्या 10 को निस्फ भाग का खातेदार, काश्तकार काबिज आराजी घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक......10/12/2025.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)